रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016/पौष 17, 1937
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/ PAUSA 17, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

का. आ. 42(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार पूर्व जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 13 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित, अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी ख के पश्चात "सुरक्षा मानकों के लिए ई रिक्शा का सत्यापन" से सबंधित पैरा में, "ई रिक्शा रजिस्टर्ड संघ" शब्दों से प्रारंभ होने वाले भाग और "विद्यमान मॉडलों के साथ प्रदान करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"रजिस्ट्रीकृत ई रिक्शा संघ या व्यष्टि, 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पूर्व, सबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग को विद्यमान ई रिक्शा और विद्यमान मॉडलों की सूची पर रोक लगाने के प्रयोजन के लिए 8 अक्टूबर 2014 को या इससे पूर्व ई रिक्शा की प्रमाणित सूचियों के ब्यौरे, जो व्यष्टियों के स्वामित्वधीन हैं और स्वामियों के नाम सहित और विद्यमान मॉडल की सूची उपलब्ध कराएंगे।

[सं. आर.टी-11036/80/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2590(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 को संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2016

S.O. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) No. S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-Section (ii) dated the 13th December, 2014, namely,:-

2. In the said notification, after table B, in the paragraph relating to "Verification of E-rickshaws for safety standard", for the portion beginning with "The registered E-rickshaws Association shall, on or before" and ending with "list of existing E-rickshaw and existing models", the following shall be substituted namely :—

> **"**The registered E-rickshaw Associations or Individual(s) shall, on or before the 31st December, 2015, provide a certified list of E-rickshaws or details of E-rickshaw owned by the individuals with name of owners and the models existing on or before 8th October, 2014 to the transport department of the concerned State Government or Union Territory for the purpose of freezing the list of existing E-rickshaws and existing models."

[No. RT-11036/80/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 2590(E) dated 8th October, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.